

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 372/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
चोलामण्डल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय : पांचवा-छठवां तल, प्लॉट  
नम्बर 306, 308, 309 गोम्स डिफेन्स एकेडमी, वैशाली नगर, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती कमलेश राठौड पत्नी श्री रणजीत सिंह राठौड,
2. श्री रणजीत सिंह राठौड पुत्र श्री भवंर सिंह राठौड,  
पता :- ई-1, हनुमान नगर, वैशाली नगर, खातीपुरा रोड, वार्ड नम्बर 3, जयपुर।
3. श्री कमलजीत सिंह राठौड पुत्र श्री रणजीत सिंह राठौड,
4. पूनम कंवर पत्नी श्री कमलजीत सिंह राठौड,  
पता :- 178, वेस्ट विहार कॉलोनी, वार्ड नम्बर 3, जयपुर।
5. मैसर्स महल रजवाडा रिसॉर्ट जरिये प्रोपराईटर कमलेश राठौड,  
पता :- शिव कुंज, वैशाली थाने के पास, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक : 27.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) श्री रणजीत सिंह राठौड के स्वामित्व की सम्पति ई-1, हनुमान नगर योजना, वैशाली नगर, खातीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 500 वर्गगज (2) श्रीमती कमलजीत सिंह के स्वामित्व की सम्पति 178, पश्चिम विहार कॉलोनी, बीड खातीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 29.02.2016 को राशि 38,87,0000/- रुपये व दिनांक 21.09.2020 को राशि 2,53,15,076/- रुपये कुल राशि 2,92,02,076/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

4-40  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 2,92,02,076/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 2,05,58,300/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी (1) श्री रणजीत सिंह राठौड़ के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति ई-1, हनुमान नगर योजना, वैशाली नगर, खातीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 500 वर्गगज (2) श्रीमती कमलजीत सिंह के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति 178, पश्चिम विहार कॉलोनी, बीड खातीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



कर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५१०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर